भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1844

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: सिंचाई हेतु कुँओं के निर्माण के लिए अनुदान

1844. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ड्रिप स्प्रिंकलर प्रणाली के तहत सिंचाई के लिए कुँओं के निर्माण हेतु किसानों को राजसहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से पंजाब में कुँओं के निर्माण के लिए कितने किसानों को राजसहायता राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या उक्त योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत कार्यों के संबंध में निधि का कोई आनुपातिक हिस्सा निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजाब के लिए योजना की शुरुआत से अब तक आवंटन का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केंद्र प्रायोजित स्कीम सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस स्कीम के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए, यह स्कीम जल स्रोत निर्माण गतिविधियों को "अन्य हस्तक्षेप (ओआई)" के रूप में सहायता देती है, जिसे सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा जाना चाहिए। ओआई गतिविधियों के लिए राशि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन का 20% और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 40% तक सीमित है। स्कीम का वित्तपोषण पैटर्न पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जहां अनुपात 90:10 है, सभी राज्यों के लिए क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में है । पंजाब राज्य सरकार को पिछले 2 वर्षों के दौरान स्कीम के "अन्य हस्तक्षेप" के तहत 200 किसानों के लिए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सामुदायिक स्तर पर जल संचयन गतिविधि की मंजूरी दी गई थी।

पंजाब राज्य के लिए "अन्य हस्तक्षेपों" हेतु अनुदान सहित पीडीएमसी के अंतर्गत पंजाब राज्य को आवंटित वर्षवार केंद्रीय सहायता निम्नानुसार है:

वर्ष	**केंद्रीय आवंटन (करोड़)**
2015-16	43
2016-17	14
2017-18	10
2018-19	15
2019-20	15
2020-21	10
2021-22	15
2022-23	15
2023-24	10
2024-25	11
कुल	**158**

****